GRAM: FOODCORP
Phone No- 0522-2720062
2720935,2720937
Fax.No- 0522-2720935

भारतीय खाद्य निगम

FOOD CORPORATION OF INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश

Regional Office (U.P)

TC-3V VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW: 226010

संख्या: जे/12(1)/एम.डी.एम./2014-15 दिनांक:23.09.2014

सेवा में,

क्षेत्र प्रबंधक
भारतीय खाद्य निगम
जिला कार्यालय
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बुलंदशहर, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हापुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, वाराणसी

विषय: वितीय वर्ष 2014-15 की तृतीय तिमाही हेतु माध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत खायान्न के आवंटन तथा द्वितीय तिमाही के सापेक्ष शेष बचे खायान्न के आवंटन के सम्बन्ध में |

महोदय,

हमारे मुख्यालय ने अपने पत्रांक 26/1/2014-15/एम.डी.एम./सेल्स दिनांक 17 सितम्बर 2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है की मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने अपने पत्रांक 5-1/2014-डेस्क(एम.डी.एम.) दिनांक: 08.09.2014 (छायापति संलग्न) के द्वारा वितीय वर्ष 2014-15 की तृतीय तिमाही हेतु माध्याह्न भोजन योजनन्तार्गत प्राइमरी कक्षा हेतु 7853.96 मी.टन गेहूँ तथा 21015.06 मी.टन चावल एवं अपर प्राइमरी कक्षा हेतु 7251.30 मी.टन गेहूँ तथा 16769.56 मी.टन चावल का आवंटन दिया है जिसके सापेक्ष उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 1151/79-6-2014 दिनांक 18 सितम्बर 2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राइमरी कक्षा हेतु 7853.96 मी.टन गेहूँ तथा 21015.06 मी.टन चावल एवं अपर प्राइमरी कक्षा हेतु 7251.30 मी.टन गेहूँ तथा 15883.214 मी.टन चावल का जनपदवार आवंटन दिया है |

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत हो की उप सचिव ने अपने उपरोक्त पत्र के द्वारा वितीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय तिमाही के सापेक्ष शेष बचे खायान्न में से, प्राथमिक कक्षा हेतु सिद्धार्थ नगर के लिए 384.987 मी.टन चावल एवं 198.647 मी. टन गेहूँ तथा उच्च प्राथमिक कक्षा हेतु सीतापुर के लिए 227.65 मी.टन चावल एवं 117.317 मी. टन गेहूँ की मांग भी की है (अनुस्मृत रहे की द्वितीय तिमाही के सापेक्ष मांगे गए खायान्न की वैधता अवधि दिनांक 25.09.2014 तक ही है|)

अतः आप से अनुरोध है की उप सचिव के पत्रानुसार तृतीय तिमाही हेतु आवंटित खायान्न की मात्रा बी.पी.एल. दर पर अन्य लागू होने वाले टैक्स लेने के बाद वैधता अवधि 25.12.2014 तक राज्य सरकार को जारी करने का कष्ट करें एवं द्वितीय तिमाही के सापेक्ष मांगे गए खायान्न की मात्रा बी.पी.एल. दर पर अन्य लागू होने वाले टैक्स लेने के बाद वैधता अवधि 25.09.2014 तक राज्य सरकार को जारी करने का कष्ट करें | खायान्न के मूल्य का भुगतान मानव संसाधान विकास मंत्रालय के पत्रांक 5-1/2014-डेस्क(एम.डी.एम.) दिनांक: 08.09.2014 के अनुसार सम्बंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से बिल मिलने के 20 दिनों भीतर किया जायेगा | कृपया सुनिश्चित करें की उक्त योजनान्तर्गत खायान्न का निर्धारित मात्रा से अधिक उठान न हो एवं उठान की गयी मासिक मात्रा से क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराये |

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

23/09/14

सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्य)
कृते उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, तृतीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ
3. सहायक महाप्रबंधक (परिचालन), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
4. सहायक महाप्रबंधक (वित्त), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

कृते उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)